गागेडा

1/3
1/4
23/5

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

2017/00051

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8]

1 नाम अदालत :– सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा :– वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राटिएए

3 अनवान मुकदमा

रूकमा बेवा जियानाथ योगी नि–गागेडा बनाम मु0 भंवरी बेवा जियानाथ जोगी नि–गागेडा

4 नम्बर व सन् मुकदमा :– 20/2017

5 तारीख दायर :– 07/02/2017

6 तारीख फैसला :– 10/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुसाफिजखाना :–

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला :–

9 किस्म बिसत या हिस्सा :–

10 किस्म रेकार्ड :–

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है _____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया _____

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है _____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया _____

13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है _____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया _____

14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है _____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया _____

ली मो.पेशकार - 1-2

पेशकार शर्मा - 1.5.17

श्री कृपाशंकर शर्मा

Scanned by CamScanner

APP.A

फर्द अहकाम

(नियम-38)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), गुलाबपुरा जिला भीलवाडा केम्प कोर्ट–गागेडा

श्रीमती रूकमा बेवा जीयानाथ जोगी नि–गागेडा बनाम भंवरी बेवा जीयानाथ जोगी नि–गागेडा

किस्म मुकदमा–प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–212 रा0टि0ए0 प्रकरण संख्या–20/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील प्रार्थी कथन किया कि आराजी मुतदाविया राजस्व रेकार्ड में सावंरलाल नाबालिग पिता जीयानाथ जरिये सरंक्षक माता रूकमा देवी, भंवरीदेवी के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही हैं तथा उक्त आराजियात के अलावा आराजी नम्बर–1700, 1701, 1530, 1533, 1534, 1532/1, 2012/1 कुल किता–07 रकबा 13 बीघा प्रतिवादी संख्या–02 व 03 के नाम चली आ रही हैं। प्रार्थीया के पति जीयानाथ की एकमात्र पत्नि होकर प्रार्थीया के जीयानाथ के नुतफे से एकपुत्र सांवरनाथ पैदा हुआ जो 02 वर्ष पूर्व फौत हो चुका हैं तथा प्रार्थीया सांवरनाथ की प्रथम श्रेणी विधिक उतराधिकारिणी हैं। जीयानाथ के प्रार्थीया व पुत्र सांवर के अलावा ओर कोई वारिसान नहीं था। फिर भी हल्का पटवारी व विपक्षी संख्या–03 ने विपक्षी संख्या–01 से मिलकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर विपक्षी सख्या–01 को प्रार्थीया के पति की पत्नि बताते हुये वादग्रस्त आराजियात में विरासत से इंतकाल 1/3 हिस्से से खुलवा लिया। तथा दिनांक 10.01.2017 को वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या–832 में से 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या–02 को विक्रय कर दिया जो विधि विरूद्व होकर निरस्तनीय हैं। अन्त में कथन किया कि आराजियात में से विपक्षी संख्या–01 के खाते में से उसका नाम हटाकर प्रार्थीया अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं तथ अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने कराने से रूके रहें। जबकि वकील अप्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थी संख्या–01 का 1/3 हक हिस्सा हैं ओर उसी हक हिस्से को उसने बैचान किया हैं। जिसे बैचान करने का अप्रार्थी खसंख्या–01 को पूर्ण विधिक अधिकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें। मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीया का 1/3 ओर उसके पुत्र सांवरनाथ 1/3 व	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या–01 भंवरी का 1/3 हक हिस्सा निहित था। अप्रार्थी संख्या–01 के द्वारा अपने निहित 1/3 हक हिस्से को ही बैचान किया गया है। प्रार्थीया व उसके पुत्र का हिस्सा राजस्व रेकार्ड के अनुसार शेष है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 10.06.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner